भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं-1820
उत्तर देने की तारीख-13/02/2023

प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा स्तर पर पढ़ाई को बीच में छोड़ना

† 1820. श्री नामा नागेश्वर राव:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा स्तर पर पढ़ाई को बीच में छोड़ने वाले बच्चों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्कूली शिक्षा के संकेतकों पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+) प्रणाली विकसित की है। वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए प्राथमिक और माध्यमिक की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ड्रॉपआउट दर अनुलग्नक-I पर है।

(ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2018-19 से स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा शुरू की है। इस योजना को अब नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी

बच्चों की एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच हो, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी जरूरतों, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बना सके।

इस योजना के तहत, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ड्रॉपआउट की संख्या को कम करने के लिए विभिन्न गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों को खोलना/सुदृढ़ करना, स्कूल भवनों और अतिरिक्त शिक्षण-कक्षों का निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की स्थापना, नि:शुल्क वर्दी, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन और रिटेंशन अभियान चलाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, स्कूल से बाहर बच्चों के आयु-उपयुक्त प्रवेश हेतु विशेष प्रशिक्षण और बड़े बच्चों के लिए आवासीय के साथ-साथ गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, कार्यस्थल पर विशेष प्रशिक्षण केंद्र, परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा भी स्कूल से बाहर बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में लाने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छात्र उन्मुख घटक के तहत, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन, सहायता और उपकरण, ब्रेल किट और किताबें, उपयुक्त शिक्षण-अधिगम सामग्री और विकलांग छात्राओं को वजीफा आदि प्रदान करने के लिए के लिए वित्तीय सहायता किया जाता है।

'प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण' (पीएम पोषण) के तहत सरकारी और सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर छात्रों को पका हुआ गर्म भोजन प्रदान किया जाता है।

साथ ही, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम की धारा 10 में कहा गया है कि यह प्रत्येक माता-पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारम्भिक शिक्षा के लिए अपने, यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों के आठवीं कक्षा में ड्रॉप आउट को रोकने और माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(ग): विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता, राज्य/संघ राज्य-वार अनुलग्नक II में दी गई है।

******

अनुलग्नक-**I**

माननीय संसद सदस्य श्री नामा नागेश्वर राव द्वारा 'प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा स्तर पर पढ़ाई को बीच में छोड़ना' के संबंध में दिनांक 13.02.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1820 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल शिक्षा की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ड्रॉपआउट दर

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर					माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर				
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.2	1.0	0.5	2.3	0.4	7.7	22.2	15.7	7.0	5.0
आंध्र प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	16.4	14.8	16.7	16.3
अरुणाचल प्रदेश	8.1	13.8	6.2	8.1	9.3	19.0	36.0	34.3	10.1	11.7
असम	10.1	3.1	4.3	3.3	6.0	33.7	31.5	32.3	30.3	20.3
बिहार	5.1	7.8	2.3	0.0	0.0	32.1	28.5	21.4	17.6	20.5
चंडीगढ़	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.7	0.0	0.0
छत्तीसगढ़	1.9	3.4	1.0	0.7	0.8	20.1	19.8	18.3	13.4	9.7
दादरा और नगर हवेली	0.1	0.0	0.0			25.1	20.5	20.3		
दमन और दीव	0.4	0.0	0.0	3.9	0.0	21.2	21.7	20.0	17.7	9.5
दिल्ली	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	14.9	13.9	6.1	4.8
गोवा	0.0	1.5	0.3	1.5	0.0	7.3	9.4	10.2	5.7	9.0
गुजरात	1.7	2.3	1.0	1.0	0.0	20.6	23.8	23.7	23.3	17.9
हरियाणा	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	13.5	14.8	13.3	10.8	5.9
हिमाचल प्रदेश	0.0	0.3	0.9	1.9	0.0	6.5	7.8	7.2	7.6	1.5
जम्मू और कश्मीर	2.9	6.7	5.9	4.4	4.0	3.4	17.8	18.5	3.7	6.0
झारखंड	0.0	5.4	6.3	3.5	1.8	9.5	22.3	16.6	13.0	9.3
कर्नाटक	1.7	0.0	1.2	1.1	0.0	24.3	23.4	16.8	16.6	14.7
केरल	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	12.0	9.1	7.9	7.1	5.5
लद्दाख	-	-	0.0	4.1	6.5	-	-	0.0	3.4	4.9
लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	5.5	4.6	6.7	0.0	0.0
मध्य प्रदेश	4.0	3.3	0.8	1.3	3.1	24.2	24.9	23.2	23.8	10.1
महाराष्ट्र	0.2	1.1	0.0	1.0	0.0	12.6	13.3	15.2	11.2	10.7
मणिपुर	3.4	6.1	8.8	8.5	13.3	6.0	13.0	9.2	9.4	1.3
मेघालय	1.7	16.9	7.0	7.4	9.8	17.5	19.5	22.2	27.6	21.7
मिजोरम	8.0	7.5	7.8	8.1	6.4	19.7	10.6	20.4	20.0	11.9
नागालैंड	4.6	11.4	4.2	5.9	5.0	13.2	24.1	21.2	23.6	17.5
ओडिशा	5.8	3.4	0.8	0.0	0.0	28.3	9.5	23.6	16.0	27.3
पोंडिचेरी	3.2	0.6	0.0	0.0	3.7	17.5	12.7	7.9	6.9	6.3
पंजाब	2.9	1.4	0.0	0.0	1.3	12.4	11.5	1.6	9.0	17.2
राजस्थान	3.4	5.2	2.9	1.0	3.6	10.5	12.7	12.3	8.9	7.7
सिक्किम	0.0	5.4	0.0	1.2	1.8	16.1	23.7	23.2	21.6	11.9
तमिलनाडु	5.9	1.2	1.1	0.6	0.0	16.2	13.0	9.6	6.4	4.5
तेलंगाना	3.5	1.9	0.0	0.0	0.0	17.1	13.5	12.3	13.9	13.7
त्रिपुरा	0.9	3.1	2.0	4.2	1.1	27.2	29.6	26.7	26.7	8.3
उत्तराखंड	3.4	3.7	2.5	1.7	2.7	11.4	11.0	8.4	8.3	9.7
उत्तर प्रदेश	7.2	9.7	2.7	2.2	0.8	19.0	15.5	14.4	12.5	5.0
पश्चिम बंगाल	0.2	3.5	0.6	0.0	8.6	14.7	19.5	13.8	13.3	18.0
कुल	3.5	4.5	1.5	0.8	1.5	18.9	17.9	16.1	14.0	12.6

स्रोत:- एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+)

माननीय संसद सदस्य श्री नामा नागेश्वर राव द्वारा 'प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा स्तर पर पढ़ाई को बीच में छोड़ना' के संबंध में दिनांक 13.02.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1820 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

समग्र शिक्षा– 2018-19 से 2022-23 तक जारी केंद्रीय भाग (रुपये लाख में)

क्रमांक	राज्य का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
		जारी केंद्रीय भाग	जारी केंद्रीय भाग	जारी केंद्रीय भाग	जारी केंद्रीय भाग	09.02.2023 तक जारी केंद्रीय भाग
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2180.33	3093.94	4037.43	3152.32	3785.40
2	आंध्र प्रदेश	95096.76	105996.21	86975.09	68301.36	86740.48
3	अरुणाचल प्रदेश	33048.80	34717.07	33964.52	27996.24	25229.47
4	असम	157072.23	152100.38	159429.09	156156.40	98279.99
5	बिहार	305837.73	326693.12	282822.81	340608.45	185565.10
6	चंडीगढ़	7714.56	6371.14	7115.42	10804.09	7903.07
7	छत्तीसगढ़	88206.43	101322.73	35068.41	33236.78	48910.77
8	दादरा और नागर हवेली	3462.38	3835.33	3493.77	2092.45	5309.36
9	दमन और दीव	631.22	924.44			
10	दिल्ली	13981.74	25698.06	14926.44	14588.04	22193.92
11	गोवा	1353.03	1525.39	1788.38	1102.19	1261.24
12	गुजरात	67089.16	115286.16	97632.80	89375.71	79371.51
13	हरियाणा	57841.95	61846.56	74570.72	51709.18	24560.52
14	हिमाचल प्रदेश	43295.44	47315.93	49230.46	31910.05	28037.03
15	जम्मू और कश्मीर	171776.09	74028.22	38557.43	87398.83	0.00
16	झारखंड	68596.00	91426.74	86561.21	85897.13	73858.81
17	कर्नाटक	62784.00	73032.69	61010.01	47451.63	56187.19
18	केरल	25604.99	21420.28	23838.59	22512.79	11250.00
19	लद्दाख	0.00	4147.17	5806.39	5717.55	0.00
20	लक्षद्वीप	265.06	728.11	254.63	216.15	432.99
21	मध्य प्रदेश	243783.65	256144.65	246219.48	229279.75	193671.37
22	महाराष्ट्र	95051.92	73423.81	63559.58	69302.88	41220.13
23	मणिपुर	25202.02	27363.08	32364.84	18250.19	16833.38
24	मेघालय	23784.61	32311.14	28355.68	27171.38	27234.77
25	मिजोरम	14630.41	16813.38	18855.02	17968.14	14268.09
26	नागालैंड	19766.33	19047.59	21347.11	13734.16	17051.30
27	ओडिशा	123021.50	189289.15	130145.67	123807.39	119289.25
28	पोंडिचेरी	804.88	786.54	972.44	1397.54	781.67
29	पंजाब	44400.00	46239.27	53143.13	50127.01	40152.87
30	राजस्थान	262721.45	291132.13	225943.67	240582.13	180011.05
31	सिक्किम	6624.19	11040.54	6451.72	10012.46	6821.69
32	तमिलनाडु	147444.01	176912.17	162153.74	159882.18	142143.94
33	तेलंगाना	68840.41	109524.00	34807.36	55327.91	47994.97
34	त्रिपुरा	24896.49	23492.36	40371.19	22692.81	23577.29
35	उत्तर प्रदेश	462541.04	498559.56	457185.61	204497.10	33593.33
36	उत्तराखंड	51138.26	51187.76	54149.33	32083.60	211790.40
37	पश्चिम बंगाल	108934.52	157905.49	132743.02	130974.48	95596.33
	कुल	**2929423.59**	**3232682.27**	**2775852.18**	**2487318.43**	**1970908.68**

2020-21 से दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव का एक संघ राज्य क्षेत्र के रूप में विलय कर दिया है।